1.16. भारत के लिए सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली {PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM (PGS)-INDIA (PGS-INDIA)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और • लघु व मध्यम किसानों की जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना।	• यह स्थानीय रूप से प्रासंगिक एक गुणवत्ता आश्वासन पहल है। इसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर बल दिया गया है। • यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली (जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्वावश्यकता है) के ढांचे से बाहर है।

- **निम्नलिखित घटक जिन पर यह लागू नहीं है:**
  - **गैर-कृषि गतिविधियां** जैसे परिवहन, भंडारण आदि।
  - **व्यक्तिगत किसान या पांच सदस्यों से कम किसानों के समूह।** जिन्हें या तो तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करना होगा या मौजूदा PGS स्थानीय समूह में शामिल होना होगा।